भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 827

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

जल संरक्षण योजनाएं

827. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जल संरक्षण योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो इसके उपयोग की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या जलवायु परिवर्तन ने देश में जल संकट को बढ़ा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अपनाई गई शमन रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तीव्र शहरीकरण ने जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने कृषि में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया है और यदि हां, तो सूक्ष्म सिंचाई पहलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या अपशिष्ट जल उपचार और पुनरुपयोग प्रणालियों को मजबूत किया गया है और यदि हां, तो सृजित की गई क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ): 'जल' राज्य का विषय है, इसी कारण से जल संसाधनों और उनके संरक्षण से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारें उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार करती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में मदद करती है।

'जल संचय जन भागीदारी' (जेएसजेबी) पहल दिनांक 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में शुरू की गई। जून 2025 में जेएसजेबी 2.0 शुरू किया गया। जेएसजेबी 2.0 के कार्यान्वयन का चक्र दिनांक 1 जून 2025 को शुरू हुआ और दिनांक 31 मई 2026 को पूरा हुआ।

'जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन' (जेएसजेबी: सीटीआर)- 2026 को दिनांक 1 जून 2026 को शुरुआत की गई। इसने 'जल संचय जन भागीदारी' (जेएसजेबी) पहल के दायरे को

बढ़ाया और साथ ही इसे 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) अभियान के साथ जोड़ा। यह पहल कम लागत वाले वर्षा जल संचयन संरचना बनाने के लिए कम लागत और सैचुरेशन मोड में सामुदायिक भागीदारी और एकजुटता को बढ़ाने पर केंद्रित है।

यह पहल स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट और रिचार्ज पिट जैसे कम लागत वाली संरचना बनाने के लिए सामुदायिक निधि, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि और अन्य स्रोतों का लाभ उठाती है। इसका उद्देश्य वर्षा जल संचयन करना, भूजल स्तर को बढ़ाना और जल की समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर उपयुक्त समाधान प्रदान करना है। यह पहल केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं से संयुक्त वित्तपोषण पर भी बल देती है। इनमें 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जी आरएएम जी), 'अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन' (अमृत), 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप', 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार के घटक, 'कम्पेनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी' (सीएएमपीए) और वित्त आयोग का अनुदान शामिल हैं।

वर्ष 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय ने देश के 256 जल की कमी वाले ज़िलों में एक निर्धारित समय-सीमा वाले, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के तौर पर 'जल शक्ति अभियान' (जेएसए) शुरू किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में इस अभियान को 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) के रूप में शुरू किया, जिसका संदेश - "कैच द रेन: वेयर इट फाल्स, वेन इट फाल्स" था। तब से, जेएसए: सीटीआर एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है, जो स्थानीय कार्रवाई और संस्थागत अभिसरण के माध्यम से जल सुरक्षा के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। जेएसए: सीटीआर अभियान पूरे देश में चलाया गया और प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 से प्रत्येक संस्करण में एक विशेष लक्ष्य पर ध्यान दिया गया। जेएसए: सीटीआर 2023, जिसकी थीम "पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता" थी, ने 'जल जीवन मिशन' द्वारा पहचाने गए 150 विशेष ज़िलों को प्राथमिकता दी। जेएसए: सीटीआर 2024 अभियान, जिसकी थीम "नारी शक्ति से जल शक्ति" थी, पूरे देश में चलाया गया और इसमें 'केंद्रीय भूजल बोर्ड' (सीजीडब्लूबी) द्वारा पहचाने गए 151 ज़िलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। जेएसए: सीटीआर 2025 को "जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर" थीम के साथ शुरू किया गया, जिसमें ज़मीनी स्तर पर अधिक जुड़ाव, विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय और नवीन वित्तपोषण तंत्रों पर बल दिया गया; इसमें सीजीडब्लूबी द्वारा पहचाने गए 148 ज़िलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

सीजीडब्ल्यूबी शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भूजल उपलब्धता में हो रहे परिवर्तन का आकलन करने सहित समय-समय पर भूजल-स्तर की निगरानी, भूजल-संसाधन मूल्यांकन और जलभृत-मानचित्रण अध्ययन करता है एवं तेजी से हो रहे शहरीकरण से उत्पन्न घरेलू, वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक उपयोगों के लिए जल की बढ़ती मांग के साथ उन उभरते हुए संकटग्रस्त

क्षेत्रों को चिन्हित करने के कार्य करता है। भारत में सक्रिय भूजल संसाधनों की तुलनात्मक स्थिति (वर्ष 2017 और वर्ष 2025) **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), देश भर के चयनित शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति के क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; तूफान जल निकासी; हरे भरे स्थान और पार्क; एवं गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2021 में आरंभ किया गया अमृत 2.0, शहरों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों को कवर करता है। यह मिशन शहरी जल प्रबंधन, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग, जल निकायों के पुनरूद्धार और जल संरक्षण में हुई कमी को चिन्हित करने पर जोर देने के साथ शहरी जल संतुलन योजनाओं एवं शहरी जल कार्य योजनाओं को तैयार कर एक चक्रीय जल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। अपशिष्ट जल क्षेत्र में, सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र के तहत 6017 एमएलडी सीवरेज उपचार क्षमता विकसित की गई है, जिसमें पुन: उपयोग के लिए 1457 एमएलडी क्षमता शामिल है।

भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" आरंभ की, जिसका उद्देश्य खेत में पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना है। पर ड्राप मोर क्रॉप (पीडीएमसी), पीएमकेएसवाई का एक घटक है जो सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेतों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। सरकार पीडीएमसी के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55 प्रतिशत और अन्य किसानों के लिए 45 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य बजट से किसानों को टॉप-अप सब्सिडी भी प्रदान करती हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए प्रति लाभार्थी सहायता 5 हेक्टेयर तक सीमित है। पर ड्राप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई की एक उप-योजना कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण में, खेत में दबावयुक्त पाइप द्वारा जल आपूर्ति, एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन को अपनाना, सूक्ष्म सिंचाई के साथ एकीकरण, जल लेखापरीक्षा और जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के उपयोग जैसे उपाय शामिल हैं।

भारत की तीसरी राष्ट्रीय संचार और प्रारंभिक अनुकूलन संचार (2023), पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (2024), और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत प्रस्तुत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) जल क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील मानते हैं और जल की कमी के प्रमुख कारणों के रूप में बदलते वर्षा के पैटर्न, बढ़ते तापमान, ग्लेशियर रिट्रीट, समुद्र के स्तर में वृद्धि और सूखे और बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता की पहचान करते हैं इन आकलनों से संकेत

मिलता है कि जलवायु परिवर्तन जल उपलब्धता, भूजल पुनर्भरण, जल गुणवत्ता और जल संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) शुरू की, जिसके तहत राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, जल की बर्बादी को कम करता है और जलवायु-अनुकूल जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत करता है। राष्ट्रीय जल मिशन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जल उपलब्धता, मांग अनुमानों और जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन सहित जल संसाधनों के संबंध में जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों की पहचान करने के लिए राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं (एसएसएपी) तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इसके अलावा, जल भारत की राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (एनएपी) के तहत शामिल क्षेत्रों में से एक है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा तैयार किया गया है। एनएपी के अंतर्गत जल के लिए कार्यनीतिक रोडमैप जलवायु से संबंधित डेटा, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने और सूखा, बाढ़, हिमनद झील के फटने से बाढ़ (जीएलओएफ), समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय बाढ़ और चक्रवात जैसे खतरों का सामना करने के लिए जलवायु-अनुकूल जल अवसंरचना को विकसित करने पर केंद्रित है।

जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क (एसआरटीडब्ल्यू) विकसित किया है जो एसआरटीडब्ल्यू के लिए संदर्भ, प्राथमिकताओं और दिशा को स्थापित करता है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का उद्देश्य नदियों के बाह्य स्थान की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार जल गुणवत्ता में सुधार करना है। एनआरसीपी के तहत किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, अवरोधन और डायवर्जन, फेकल स्लज शोधन संयंत्र, उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और स्लज प्रबंधन मुख्य घटकों के रूप में शामिल हैं और गैर-मुख्य घटकों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रिवर फ्रंट, जैव विविधता पार्क, आर्द्रभूमि संरक्षण, शवदाहगृह, वनीकरण/सामुदायिक वृक्षारोपण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार शामिल हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में देश के 17 राज्यों के 100 शहरों की 58 नदियां शामिल हैं और 3026 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

अनुलग्नक-I

"जल संरक्षण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 23.07.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 827 के (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र. सं.	**विशेषता**	**वर्ष 2017**	**वर्ष 2025**
1	वार्षिक भूजल पुनर्भरण (बीसीएम)	431.86	448.52
2	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (बीसीएम)	392.7	407.75
3	सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण (बीसीएम)	248.69	245.64
4	भूजल निष्कर्षण का चरण (%)	63.33 %	60.63%

अनुलग्नक-II

"जल संरक्षण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 23.07.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 827 के (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष	**जारी की गई केंद्रीय सहायता (रुपए करोड़ में)**	**सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)**
2015-16	1556.73	5.73
2016-17	1991.24	8.40
2017-18	2819.39	10.49
2018-19	2918.38	11.59
2019-20	2700.02	11.73
2020-21	2562.19	9.37
2021-22	1796.12	10.15
2022-23	1901.37	11.02
2023-24	2103.50	11.41
2024-25	2793.37	12.61
2025-26	3226.37	11.86
2026-27 (अब तक)	1430.39	0.24
कुल	**27799.07**	**114.60**
